

29/09/25

मुसन्ना पेश हुआ। मूल पत्रावली अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन होकर काफी समय से न्यायालय द्वारा को प्राप्त नहीं हुई है।
अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त अपीलीय न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसन्ध आगामी कार्यवाही की जाना इच्छित रहेगा। तब तक मुसन्ने की कार्यवाही के इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।
पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त मुसन्ना पत्रावली के साथ मेलानु है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(बानू देवता)

सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिचौदगढ़ (उ.प्र.)